



आर्थिक विकास में मनरेगा प्रबंधन की भूमिका : नवादा जिला के विशेष संदर्भ में

संजीव कुमार

शोधार्थी अर्थशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, (बिहार) भारत

Article Info

Accepted : 05 Nov 2024

Published : 25 Nov 2024

Publication Issue :

November-December -2024

Volume 7, Issue 5

Page Number : 07-17

शोधसारांश :- गाँव की खुशहाली में ही देश का विकास निहित हैं। ग्राम्य विकास की चुनौतियों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, कनेक्टिविटी, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, आवास और गरीबों को रियायती अनाज उपलब्ध कराना प्रमुख हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार समय-समय पर ढेर सारी योजनाएँ चलाती हैं। जिसके क्रियान्वयन का दायित्व और सफलता राज्यों पर निर्भर करता है।

बीज शब्द :- ग्राम्य, गरीब, विकास, रियायती, खुशहाली, बुनियादी, रोजगार।

रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा :- ग्रामीण प्रक्षेत्र की तस्वीर बदलने में मनरेगा कार्यक्रम की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। भारत में गरीबी एक जन्मजात बीमारी से निजात पाने की सबसे बड़ी एवं सफल योजना के रूप में इसे देखा जाता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को उनके ही गाँव में कम से कम एक सौ दिवसों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है।

वर्ष 2005 में ग्रामीण बेरोजगारों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा काम के कानूनी अधिकार का एक श्रम कानून बनकर तैयार हुआ था जिसका लाभ हर जरूरतमंद महिला व पुरुष उठा सकता है। मनरेगा के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 30 लाख से अधिक निर्माण कार्य होता है। इसमें पिछले 10 वर्षों में 2.82 करोड़ स्थायी परिसम्पत्तियाँ बनाई जा सकी हैं। इनमें से एक करोड़ की जियो टैगिंग भी हो चुका है। मनरेगा में कराए जाने वाले कच्चे काम को लेकर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आम बजट में मनरेगा के मद में 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जबकि पिछले आम बजट में 36997 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। जिसे बाद में संशोधित अनुमान बढ़ाया गया था।

रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा :-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आम बजट में मनरेगा के मद में 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जबकि पिछले आम बजट में 36997 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। जिसे बाद में संशोधित अनुमान बढ़ाया गया था। उल्लेखनीय हैं कि मनरेगा से तकरीबन 5 करोड़ ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलता है।

गांव के लोगों का पलायन रुका है। छोटी जोत के किसानों को इसके चलते अतिरिक्त आय के लिए अब शहरों की ओर नहीं भागना पड़ता है।

मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा हुए कार्य से कृषि व जल संरक्षण के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ा है। सरकार का सारा ध्यान ग्राम्य विकास लोगों की रोजी-रोटी और गाँव की अर्थव्यवस्था पर है।

कोविड-19 के आपदाकाल के दौरान मनरेगा काफी सहायक साबित हुआ है।

भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कई तरह की निगरानी व्यवस्था शुरू की है। उपग्रह से हो रहे कार्यों की सीधी निगरानी कार्यों की जियो टैगिंग और सोशल ऑडिट जैसी व्यवस्था की गई है। मनरेगा में 95 वीं फीसदी पारिश्रमिक का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जा रहा है। मात्र 5 फीसदी दुर्गम प्रक्षेत्रों में भुगतान नगदी होता है।

महिला सशक्तीकरण में मनरेगा :- भारत में महिला सशक्तीकरण की गति धीमी अवश्य है। भारत में महिलाएँ सदियों से उपेक्षित रही हैं। किन्तु आज महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे-से कंधा मिलाकर हरेक क्षेत्र में चलने का प्रयास कर रही हैं। बिहार में यद्यपि महिला साक्षरता दर बढ़ने से भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न इत्यादि घृणित कृत्यों में कमी आई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण की दशा और दिशा में परिवर्तन की जरूरत है। इस क्षेत्र में आरक्षण के बल पर पंचायती राज में रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ वृद्धि हुआ है। नेल्सन मंडेला के कल्पनानुसार दासता और रंगभेद की तरह गरीबी और बेरोजगारी भी प्राकृतिक नहीं हैं। यह तो मनुष्य की देन है। और इसे सरकारी और सामाजिक प्रयास से दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार लैंगिक समानता भी स्थापित की जा सकती है। इसके लिए महिलाओं को कामकाजी होने के लिए समान अवसर देने होंगे। मनरेगा योजना में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत एक तिहाई महिला लाभार्थियों के लिए प्रावधान किया गया है।

बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन (2018-19 से 2022-23) :-

वित्तीय वर्ष	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	1400	1600	2250	2000	2500
व्यक्ति दिवस सृजित किया गया (लाख में)	1231.63	1413.56	2272.04	1808.23	2338.58
कुल श्रम बजट का प्रतिशत (%)	87.97	88.35	100.98	90.41	93.54
अनुसूचित जाति का व्यक्ति दिवस प्रतिशत कुल व्यक्ति दिवस के रूप में	19.81	15.66	11.4	12.05	17.5
अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति दिवस प्रतिशत कुल व्यक्ति दिवस के रूप में	1.55	1.42	1.18	1.36	1.76
कुल व्यक्ति दिवसों के रूप में महिला व्यक्ति दिवसों का प्रतिशत	51.74	55.84	54.63	53.19	56.39
कुल परिवारों ने 100 दिनों का मजदुरी पूर्ण किया	24548	20366	35047	21826	38227

स्रोत :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत श्रम बजट में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है जैसे 2018—19 में श्रम बजट 1400 था, जो बढ़कर 2019—20 में 1600 हो गया, 2020—21 में बढ़कर 2250 हो गया अपवाद वर्ष 2021—22 में घटकर 2000 हो गया पुनः 2022—23 में बढ़कर श्रम बजट 2500 हो गया। 2018—19 में कुल मानव दिवस 1231.63 था जो 2019—20 में बढ़कर 1413.56 हो गया। 2020—21 में 2272.04 हो गया तथा अपवाद वर्ष 2021—22 में घटकर 1808.23 हो गया। पुनः 2022—23 में 2338.85 हो गया जो हर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है। उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल 24548 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला जो वर्ष 2019—20 में घटकर कुल 20366 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला। 2021 में बढ़कर कुल 35047 परिवारों को रोजगार मिला 2021—22 में घटकर कुल 21826 परिवारों को रोजगार मिला पुनः वित्तीय वर्ष 2022—23 में बढ़कर 38227 परिवारों को 100 दिवसों का रोजगार मिला।

इस तालिका से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में महिला व्यक्ति दिवसों का कुल प्रतिशत 51.74 हुआ है। 2019–20 में 55.84 प्रतिशत महिला दिवस हुआ, 2020–21 में 54.63 प्रतिशत, 2021–22 में 53.19 प्रतिशत तथा 2022–23 में महिलाओं का दिवसों का प्रतिशत 56.39 हुआ।

क्षेत्र से अवलोकन :- उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक का पृष्ठाधार :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास व गरीबी उन्मूलन में मनरेगा कार्यक्रम की भूमिका के संसर्ग में अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य के नवादा जिला के नरहट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले गांव के ग्रामीण उत्तरदाताओं के द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण पर अंगारित हैं।

अध्ययन की महत्वपूर्ण बात यह है कि मनरेगा योजना के उत्कीर्ण दृष्टि से विश्लेषण किया जाय।

निश्चित रूप से हमारा प्रयत्न गरीबी उन्मूलन में इस महत्वाकांक्षी योजना की भूमिका का गवेषणा से हैं। इतना ही नहीं इस तत्वसंधान का संदर्श ग्राम्य समाज के बदलते नये पार्श्वों का पता लगाना हैं।

इसके अतिरिक्त हमने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में संलग्न सरकारी व गैर-सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार का पता लगाया। वास्तव में ग्रामीण विकास के बदलते परिवेश में जो नूतन पार्श्व उभर कर सामने आ रहे हैं। जिसमें एक तरफ तो संस्कृति एवं संस्थाएँ हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वे असलियत हैं जो कर्मचारियों के भ्रष्ट कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई हैं।

जिसमें ग्रामीण सामाजिक विकास व बदलते प्रक्रिया को अवरुद्ध करने में धारणाएँ एवं मनोवृत्तियाँ भी शामिल हैं। इस अध्ययन में ग्रामीण समाज के उत्तरदाताओं के सामाजिक आर्थिक पृष्ठाधार को सबसे पहले स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। चूँकि ग्रामीण परिवेश के आमजनों की मनः स्थिति धारणाओं व कार्य व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं।

उद्देश्य :-

- महिला श्रमिकों के व्यवसायिक भूमिका का विश्लेषण करना।
- महिला उत्तरदात्रियों के शैक्षणिक स्थिति को ज्ञात करना।
- महिला श्रमिकों के जीवन स्तर में परिवर्तन से जुड़े तथ्यों को ज्ञात करना।
- महिला श्रमिकों के बच्चों का नियमित शिक्षा प्राप्त न करने के कारणों का पता लगाना।
- महिला सशक्तीकरण के निवारण के सुझावों को अवगत करना।

उपकल्पना :-

H_0 – महिला श्रमिकों के जीवन स्तर में एवं आर्थिक विकास में मनरेगा की कोई भूमिका नहीं रही है।

H_1 – महिला श्रमिकों के जीवन स्तर में एवं आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका सराहनीय रही है।

अध्ययन क्षेत्र :- वर्तमान नवादा जिला मगध प्रक्षेत्र में कई दृष्टिकोणों से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। संभाग का सबसे पूर्वी जिला हैं, जो बिहार के 9 प्रशासनिक प्रभागों में से एक हैं। नवादा 26 जनवरी 1973 ई0 को जिला के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी भौगोलिक स्थिति $24^{\circ}-31^{\circ} 45''$ से $25^{\circ}-06^{\circ} 45''$ उत्तरी अक्षांश और $85^{\circ}-17'$ से $86^{\circ}-03^{\circ}-30''$ पूर्वी देशांतर के मध्य तक नवादा जिला फैला हुआ है।

2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार नवादा जिले की 90.29 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवादा जिले की कुल आबादी 2003567 हैं। तथा शहरी आबादी कुल 215579 हैं। शहरी आबादी का प्रतिशत 9.71 प्रतिशत हैं। क्रमशः 1031656 व 971911 हैं। प्रारंभिक आँकड़ों से पता चलता है कि नवादा जिले का घनत्व 890 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हैं। नवादा की पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 69.98 व 48.86 प्रतिशत हैं।

अध्ययन विधि :- प्रस्तावित अध्ययन में द्वितीय समकों का स्रोत सेन्सस ऑफ इंडिया आर्थिक, सांख्यिकी विभाग बिहार नवादा जिला सांख्यिकी रूपरेखा का लेख, जर्नल पत्र पत्रिकाएँ में प्रकाशित आँकड़ों का विश्लेषण करना तथा प्राथमिक सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन पद्धति के द्वारा सूचनाओं का विश्लेषण करना।

साहित्य समीक्षा :- अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में रोजगार गारंटी योजना का सूत्र प्रो0 कीन्स के "जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी" में ढूँढा जा सकता है। कीन्स सिद्धांत के मुताबिक अगर अर्थव्यवस्था मंदी के चक्र में हैं तो घाटे के बजट का इस्तेमाल करते हुए लोक निर्माण कार्यक्रम के द्वारा मंदी के कुचक्र को तोड़ा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुल मांग को कृत्रिम तौर पर बढ़ाकर मंदी के चक्र से बाहर आया जा सकता है। कीन्स के इस सिद्धांत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक तात्कालिक उपयोगिता तो है, लेकिन इस सिद्धांत का प्रयोग सीमित संदर्भों में ही वांछनीय है।

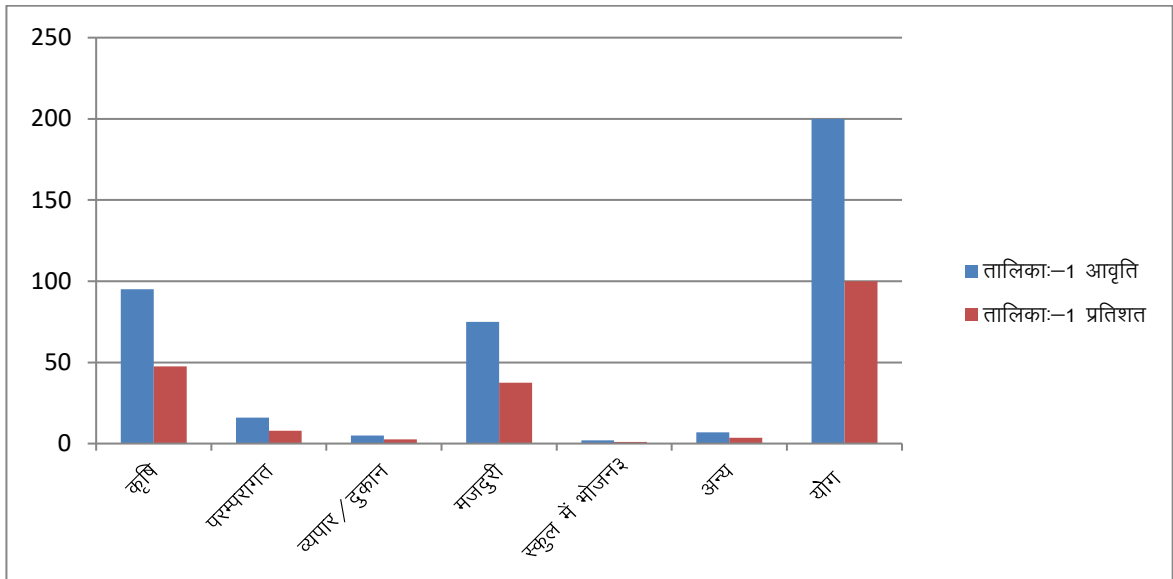
➤ Patil Amit (2006) में The role of Panchyati Raj Insitution in implementing Rural Employment Scheme में पाया गया कि मनरेगा में ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष भूमिका हैं। यहाँ ग्राम सभा यह तय करता है कि ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से कार्य करने हैं। इस योजना से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें गाँव के स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। इससे सम्पूर्ण ग्राम्य विकास को बढ़ावा मिला है।

➤ Khera and Nayak (2009) के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के अनुसार मनरेगा महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में काफी सक्षम रही हैं। महिलाओं को स्थानीय काम मिलने से उनकी दशा में काफी सुधार हुआ है। वह कहीं अन्य जगह पर काम नहीं करना चाहती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में महिला श्रमिकों का जीविकोपार्जन के लिए चुने जाने वाले रोजगार के प्रकारों से जुड़े तथ्यों का संकलन किया गया है। जिसे निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया है।

तालिका :- 1

व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत %
कृषि	95	47.5
परम्परागत	16	8.0
व्यापार/दुकान	05	2.5
मजदूरी	75	37.5
स्कूल में भोजन बनाना	02	1.0
अन्य	07	3.5
योग =	200	100.0



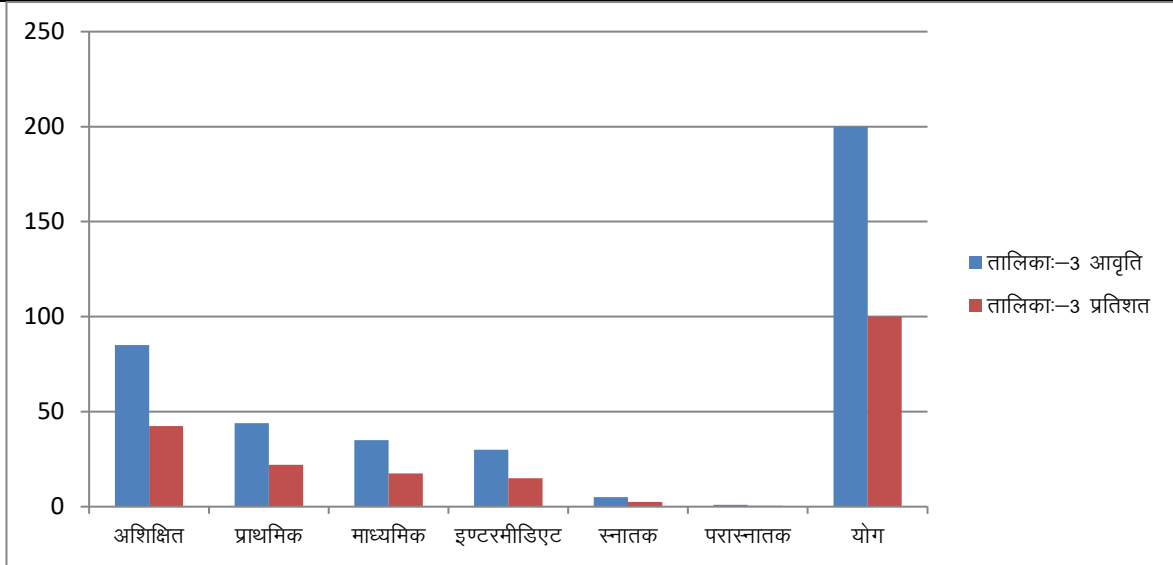
उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक महिलाएँ कृषि कार्य में संलग्न हैं, 47.5 प्रतिशत महिलाएँ आज भी परम्परागत व्यवसाय को करते हैं। 2.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ दुकान पर कार्य करती हैं। 37.5 प्रतिशत महिलाएँ श्रमिक के तौर पर मजदूरी जैसे सरकार की योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह आदि में संलग्न पाई गयी। 1 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ विधालयों में मध्यान भोजन योजना में रसोईया कार्य करती हैं। तथा 3.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 47.5 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियाँ श्रमिक के रूप में कृषि कार्यों में लगी हैं।

इस दृष्टि से उत्तरदात्रियां की शैक्षणिक स्थिति इस प्रकार हैं।

तालिका :- 2

महिला उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत %
अशिक्षित	85	42.5
प्राथमिक	44	22.0
माध्यमिक	35	17.5
इण्टरमीडिएट	30	15.0
स्नातक	05	2.5
परास्नातक	01	0.5
योग =	200	100.0

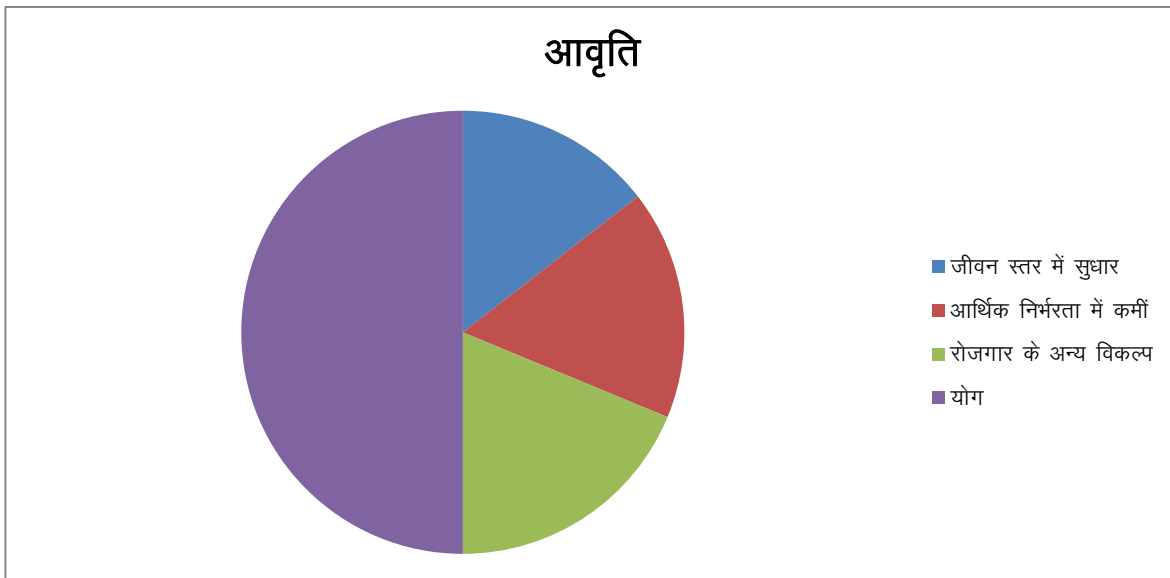


उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 42.5 प्रतिशत महिला श्रमिक अशिक्षित हैं। जबकि 22 प्रतिशत प्राथमिक, 17.5 प्रतिशत माध्यमिक, 15 प्रतिशत इण्टरमीडिएट, 2.5 प्रतिशत स्नातक तथा 0.5 प्रतिशत परास्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियां हैं। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 57.5 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियां शिक्षित हैं।

तालिका :- 3

मनरेगा कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात् लाभ के प्रकार के आधार पर उत्तरदात्रियों का विभाजन :—

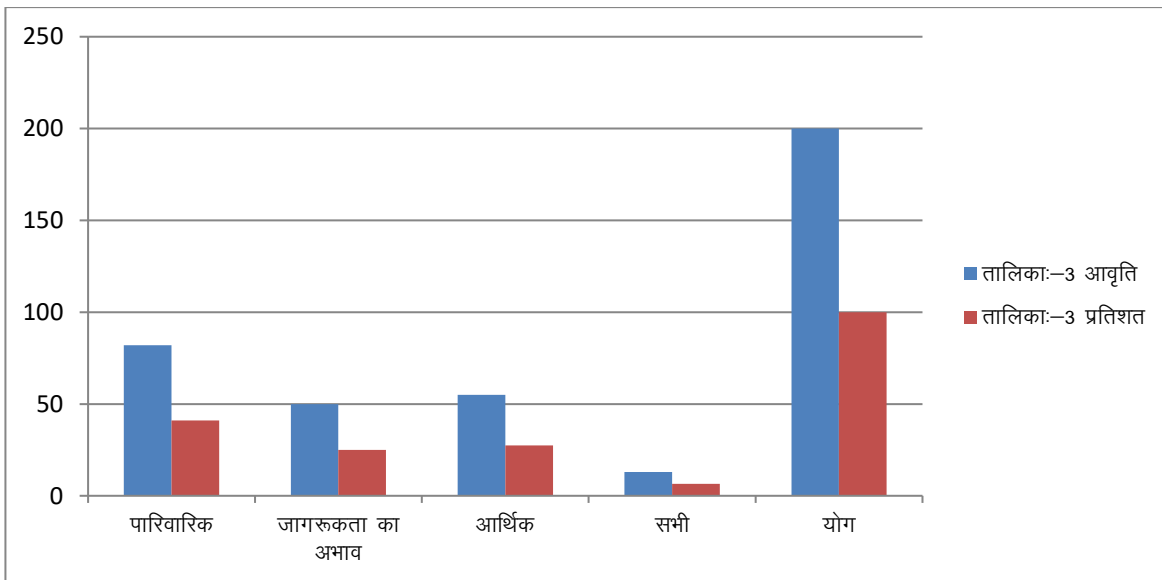
मनरेगा योजना से प्राप्त लाभ के प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत %
जीवन स्तर में सुधार	58	29.0
आर्थिक निर्भरता में कमी	67	33.5
रोजगार के अन्य विकल्प	75	37.5
योग =	200	100.0



उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 29 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों का कहना है कि मनरेगा कार्यक्रम उनके जीवन स्तर में मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन-सहन, खान-पान आदि जैसी समस्याओं में सुधार हुआ है। 33.5 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों का मानना है कि पति व परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भरता में कमी लाने वाला कारक स्वीकार किया है। 37.5 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों का मानना है कि मनरेगा उनके लिए रोजगार का एक अन्य महत्वपूर्ण विकल्प है। जिससे उनके आर्थिक परिस्थितियों में प्रभाव डालता है। आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 33.5 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों ने मनरेगा कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात् स्वयं को आत्मनिर्भर मानती हैं।

तालिका :- 4**महिला श्रमिकों के बच्चों का नियमित शिक्षा प्राप्त न करने के कारणों के आधार पर वितरण :-**

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत %
पारिवारिक	82	41.0
जागरूकता का अभाव	50	25.0
आर्थिक	55	27.5
सभी	13	6.5
योग =	200	100.0



प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदात्रियों के बच्चों की विधालयों में अनुपस्थिति के कारणों से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। तथा प्राप्त तथ्यों को तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। 41 प्रतिशत महिला श्रमिकों के बच्चों की विधालय में अनुपस्थिति पारिवारिक कारणों से होती है। जिनमें कुछ दम्पतियों को सन्तानोत्पत्ति नहीं होना भी कारण है। अधिकांश छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि न रख पाने के कारण आठवीं कक्षा के पश्चात् ही छोड़ना, वहीं लड़कियों के मामले में कम उम्र में ही विवाह कर देने की वजह उन्हें ससुराल भेज दिया व उनकी परिवार की सदस्य में गिनती भी नहीं की जाती है। उन्हें परायी व ससुराल पक्ष का माना जाता है। 25 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों का अशिक्षित होने की वजह जागरूकता का अभाव है। माता-पिता व शिक्षा के प्रति रुझान न होने के कारण और उनके बचपन से ही जीविकोपार्जन के संबंधी कार्यों के प्रति अभिरुचि रखने के कारण तथा लड़कियों के लिए ये पढ़-लिख कर क्या करेगी? शादी ही तो

करनी हैं। निराशाजनक होने की वजह से जागरूकता कम होती हैं। 27.5 प्रतिशत महिला श्रमिकों के बच्चों आर्थिक कारणों से अशिक्षित होते हैं। छोटी उम्र में ही लड़कों को जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगा दिया जाता है। वहीं लड़कियों को लघु उद्योग जैसे सिलाई-बुनाई आदि जैसे घर में रहकर करने वाले कार्यों में लगा दिया जाता है। वहीं 6.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों अपने बच्चों को स्कूल न भेज पाने का कारण सभी को बताती हैं। कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने के कारण अशिक्षित हैं। इसलिए शिक्षा से प्राप्त लाभों के प्रति जागरूकता न हो पाने की वजह पारिवारिक कारणों से बच्चों को शिक्षित करने में असमर्थ हैं।

अतः उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 41 प्रतिशत श्रमिक परिवारों के बच्चे पारिवारिक कारणों से विधालय जाने में असमर्थ होते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव— मनेरगा की सफलता का एक आयाम यह है कि इसी के माध्यम से गाँव में विकास कार्यों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही है। यह कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक साबित हुआ है। इस योजना को चलाने में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका की वजह से ग्रामीण प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। एवं इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़ें मजबूत हो रही हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा ऐसे काम हाथ में लिए जाते हैं। जिनमें श्रम की अत्याधिक आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 29 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि हम सबों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है तथा 33.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि मनेरगा कार्यक्रम के लागू होने से हम सब महिला श्रमिक अपने आप को सशक्त एवं आत्मनिर्भर स्वीकार की हैं।

ग्राम्य विकास को मुख्य धारा में समावेशित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि गाँव में रोजगार के अवसरों का विकास एवं विस्तार करके गाँव के तमाम जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराई जाय। गाँव में बेरोजगारी के अभिशाप से निजात पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि एक ओर गाँव में आधारभूत सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, व शिक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। दूसरी ओर कृषि पशुपालन एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए उचित कदम उठाए जाय तथा इसके साथ ही लघु, कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय। एवं महिला श्रमबल की उचित भागीदारी बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास को शिखर पर ले जाया जा सकता है।

संदर्भ-सूची

1. जोशी, पूरन चन्द : भारतीय ग्राम : सांस्थानिक परिवर्तन और आर्थिक विकास राजकमल दिल्ली 1986

2. पी0 सी0 जोशी : भारतीय ग्राम ।
3. वुमेन टी के 1984 : सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया मोबिलाईजेशन एण्ड स्टेट इंटरवेशन, विकास पब्लिशिंग, नई दिल्ली ।
4. देगाई एम0 डी0 : हस्तेड़ा इकोनॉमिक लाइफ इन ए राजस्थान विपेज एगो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर वल्लभ विधानगर 1984
5. खन्ना आर0 एल0 : पंचायती राज इन इण्डिया द इंग्लिश बुक डिपो 5 अम्बाला 1972
6. Anupam Hazra : NREGA : Transforming India, Yojna-Dec. 2009
7. Amartya Kumar Sen : Poverty and Femines: An essay on intitlement and deprivation, Delhi oxford University press -1981
8. Atkinson , A.B : On the measurement of inequality journal of Economic Theory Vol. 2, 1970
9. Dantewada , M.I: Garibi Hatao: Stratgy option Economic and political weekly , March, 16, 1985.
10. Sanjay Ray : NREGA : Fact of rural women Empowerment Yojna, Dec, 2009, P 3-6
11. Sinha, S.P : A study of the level of living in a village in south Bihar , Rural India 26 (1), 1963.
12. पत्रिका: कुरुक्षेत्र फरवरी, 2013—पृष्ठ 10, 17, 18